न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई जिला टोंक

(डा.नीलम मीणा आर.ए.एस. सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई द्वारा अध्यासित)

GCMS NO.:– 2018/00042
दावा संख्या:– 65/2018
निर्णय दिनांक:–14.05.2022

1. छोटू पुत्र श्री गोपाल जाति बैरवा निवासी ग्राम मेधारकलां तह. निवाई जिला टोंक (राज0)

–वादी

उनवान

1. प्रभू पुत्र गोपाल जाति बैरवा निवासी ग्राम मेधारकलां तह. निवाई जिला टोंक (राज0)
2. केसरा पुत्र गोपाल जाति बैरवा निवासी ग्राम मेधारकलां तह. निवाई जिला टोंक (राज0)
3. काल्या उर्फ कालू पुत्र गोपाल जाति बैरवा निवासी ग्राम मेधारकलां तह. निवाई जिला टोंक (राज0)
4. बाबू पुत्र गोपाल जाति बैरवा निवासी ग्राम मेधारकलां तह. निवाई जिला टोंक (राज0)
5. रामफूल पुत्र गोपाल जाति बैरवा निवासी ग्राम मेधारकलां तह. निवाई जिला टोंक (राज0)
6. तहसीलदार निवाई जिला टोंक (राज0)

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, खातेदारी दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित:–1. श्री बनवारी लाल यादव, अधिवक्ता वादी।
2. श्री जितेन्द्र कुमार, अधिवक्ता प्रतिवादी।

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है:–

यह कि वादी का कथन है कि वादपत्र में वर्णित भूमि खाता संख्या 53 मे वर्णित ख.नं. 295 रकबा 01–04 बीघा ख.नं. 297 रकबा 01–19 बीघा ख.नं. 301 रकबा 02–08 बीघा ख.नं. 304 रकबा 01–01 बीघा ख.नं. 305 रकबा 01–11 बीघा कुल किता 05 कुल रकबा 08–03 बीघा खाता संख्या 54 में वर्णित ख.नं. 244 रकबा 02–11 बीघा ख.नं. 290 रकबा 06 बिस्वा गै.मु. चाह कुल किता 2 कुल रकबा 02–17 बीघा खाता संख्या 55 में वर्णित ख.नं. 284 रकबा 02–01 बीघा ख.नं. 293 रकबा 14 बिस्वा ख.नं. 294 रकबा 01–02 बीघा ख.नं. 303 रकबा 01–13 बीघा ख.नं. 460/3 रकबा 04–04 बीघा कुल किता 05 रकबा 09–14 बीघा तथा खाता संख्या 129 में वर्णित ख.नं. 467/03 रकबा 09–08 बीघा वाके ग्राम मेधारकलां पटवार हल्का बड़ागांव तहसील निवाई जिला टोंक (राज0) में स्थित है जिसमें वादी का प्रतिवादीगण के साथ बराबर हक व हिस्सा निहित है एवं इसी अनुसार मौके पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है एवं अपने अपने हिस्से की कृषि भूमि को शारिरिक एवं मानसिक रूप से धारित किये हुऐ है।

यह कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 एक ही परिवार के सदस्य है तथा एक ही पिता गोपाल की संताने है परन्तु गोपाल की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि को राजस्व कर्मचारियो ने मात्र प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम ही अंकित कर दिया जो कतई गलत है जबकि प्रतिवादी संख्या

Scanned with OKEN Scanner

1 ता 5 के साथ वादी का भी प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के बराबर हक व हिस्सा निहित है और वादी अपने हिस्से पर काबिज चला आ रहा है इस कारण अब राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के साथ वादी का नाम जोड़ा जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना नितांत आवश्यक एवं न्यायसंगत है। उपरोक्त वर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम आ जाने से प्रतिवादीगण की नियत में बेईमानी आ गई है इस कारण जबरन वादी के कब्जे काश्त मे बाधा मजाहमत करने व उक्त जमीन को रहन बेचान करने पर अमादा है जिससे प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा अविलम्ब पाबंद किया जाना नितांत आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्षों द्वारा मय अधिवक्ता राजीनामा न्यायालय में प्रस्तुत किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के साथ संलग्न साक्ष्य, शपथ पत्र-राजीनामा एवं लिखित बहस पर मनन किया। पत्रावली के साथ संलग्न जमाबन्दी संवत् 2073-76 के खाता संख्या 53, 54, 55, 129 के अनुसार प्रभू, केसरा, काल्या, बाबू, रामफूल पिता गोपाल के नाम दर्ज है। प्रतिवादीगण द्वारा दिये गये शपथ पत्र एवं राजीनामे के आधार पर छोटू पुत्र गोपाल उनका सगा भाई है एवं पिता की मृत्यु के बाद सहवन से उसका नाम जमाबन्दी में दर्ज होने से रह गया था। प्रस्तुत राजीनामे अनुसार वादी के पांचो भाई वादी का नाम उनके साथ खातेदारी में दर्ज किये जाने हेतु सहमत है। अतः वादी को प्रतिवादीगण के नाम दर्ज खाता संख्या 53, 54, 55, 129 में प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम दर्ज हिस्से में बराबर हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावें। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/5/22

(डॉ0 नीलम मीणा)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
निवाई

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) निवाई जिला टोंक

(डॉ. नीलम मीणा, आर.ए.एस. सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) निवाई द्वारा अध्यासित)

(डिकी मुकदमा इब्तदाई)

दावा संख्या:– 65 / 2018
निर्णय दिनांक:–14.05.2022

उनवान

छोटू बनाम प्रभू वगै0

दावा बाबत उद्घोषणा, खातेदारी दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू डॉ. नीलम मीणा ब हाजरी श्री बनवारी लाल यादव वकील वादी व श्री जितेन्द्र कुमार वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम मेधारकलां तह0 निवाई की जमाबन्दी संवत् 2073–76 के खाता संख्या 53, 54, 55, 129 के वाद में प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादी को प्रतिवादीगण 1 ता 5 के नाम दर्ज हिस्से में बराबर हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14 माह 05 सन् 2022 को जारी की गई।

14/5/22

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक), निवाई

Scanned with OKEN Scanner